रीना बाबासाहेब कंगाले
भा.प्र.से
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
कक्ष– S1–3, मंत्रालय, महानदी भवन,
अटल नगर, नवा रायपुर
पिन कोड – 492002 (छ.ग.)
फोन : 0771–2221204, 2510950
ई–मेल : Secy.wcd-cg@gov.in

अर्द्ध शास. पत्र क्र. 2640
दिनांक :– 22/06/2021

विषयः– दिनांक 07 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक वजन त्यौहार का आयोजन।

प्रिय जिलाधीश,

प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी वजन त्यौहार का आयोजन दिनांक 07 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 के मध्य आयोजित है। वजन त्यौहार का उद्देश्य प्रदेश में एक निश्चित अवधि में बच्चों में पोषण स्तर का आंकलन किया जाना है। वजन त्यौहार से संबंधित प्रमुख तथ्य निम्नानुसार है :–

1. मासिक प्रगति प्रतिवेदनों से प्राप्त हो रहे ऑकड़ों के अनुसार कुल सर्वेक्षित बच्चों में से लगभग 70 से 80 प्रतिशत बच्चों का प्रति माह वजन लिया जाकर पोषण स्तर ज्ञात किया जा रहा है पर मासिक पोषण स्तर के आंकड़ों की शुद्धता/प्रमाणिकता न होने के कारण राज्य में वास्तविक पोषण स्तर की जानकारी ज्ञात करने में कठिनाई है।
2. राज्य में वास्तविक पोषण स्तर की जानकारी प्राप्त करने हेतु वर्ष 2012 से प्रदेश के समस्त 05 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण स्तर के आकलन हेतु वजन त्यौहार प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, वजन त्यौहार के दौरान शत्–प्रतिशत् बच्चों का वजन लेकर उनकी जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में दर्ज करते हुए पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकिया में आंकड़ों की शुद्धता बनी रहती है।
3. वजन त्यौहार में यथा आवश्यकता किशोरी बालिकाओं का हिमोग्लोबिन टेस्ट भी कराया जाना है तथा उनका बीएमआई निकाला जाना है। इस हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र में आने वाली 11 से 18 वर्ष की सभी किशोरी बालिकाओं को इस अभियान में शामिल करें व स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय कर यह कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है।
4. वजन त्यौहार आयोजन के लिए जिला स्तर पर आपकी अध्यक्षता में सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर सभी को दायित्व सौंपा जाये ताकि प्रत्येक पंचायत स्तर तक मॉनीटरिंग की जा सके। उचित होगा कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए त्रुटिरहित वजन त्यौहार का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

5. स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायतीराज प्रतिनिधियों को भी इस अभियान से जोड़ा जाये तक उनके क्षेत्र में कुपोषित बच्चों की सही जानकारी का आकलन किया जा सके।
6. वजन त्यौहार में आंकड़ों की गुणवत्ता व सत्यापन के लिए **स्थानीय शासकीय/निजी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के रिसर्च स्कॉलरों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, महिला शक्ति केन्द्र योजना अन्तर्गत चयनित स्वयंसेवकों इत्यादि की सेवायें ली जा सकती है।** कम से कम 15 प्रतिशत् आंगनबाड़ी केन्द्रों का बाह्य एजेंसी/व्यक्तियों से अनिवार्य रूप से सत्यापन कराया जावे।

प्रत्येक कार्यवाही के लिए समय–सीमा निर्धारित की गई है। इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आपको भेजे जा रहे हैं। आपसे अपेक्षा है कि शासकीय अधिकारियों, पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं इत्यादि की बैठक दिनांक 30 जून के पूर्व लिया जाकर युक्तियुक्त निर्देश प्रसारित करने का अनुरोध है।

सस्नेह,

भवदीय

(रीना बाबासाहेब कंगाले)

प्रति,
श्री/श्रीमती/सुश्री...
कलेक्टर,
जिला – .... (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक 961/सचिव/2021/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक :– 22/06/2021

प्रतिलिपि :–

संचालक, संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।

Rina

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

Scanned with CamScanner